न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 26/22 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2022/70

उनवान

1. राजो आयु करीब 37 वर्ष पत्नी स्व0 माताप्रसाद जाति जाटव निवासी निधेरा खुर्द तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।
2. रमाकान्त
3. राहुल
4. अनु

पिस0 स्व0 माताप्रसाद नाबालिगान सरपरस्ती मॉ राजो पत्नी माताप्रसाद जाति जाटव निवासी निधैरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

5. जितेन्द्र सिंह आयु करीब 23 वर्ष पुत्र स्व0 माताप्रसाद जाति जाटव निवासी निधैरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
6. महेन्द्र पुत्र नथोली (फौत)
7. होरीलाल पुत्र नथोली

जाति जाटव नि0 निधैरा खुर्द तहसील सैपऊ व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. गजेन्द्र पुत्र आशाराम
2. धर्मेन्द्र पुत्र आशाराम
3. प्रवीन पुत्र आशाराम
4. प्रियंका पुत्री आशाराम
5. रश्मि पुत्री आशाराम

समस्त जातिगण जाटव निवासी ताल की पार कस्बा पिनाहट जिला आगरा यू0पी0

6. कमलेश देवी पत्नी बहादुर सिंह
7. मीरा देवी पुत्री श्रीचन्द
8. प्रागो पत्नी किरोरी
9. रानी पत्नी शिव सिंह

समस्त जातिगण जाटव निवासी निधैरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी सैपऊ दि0 16.03.2022 प्र.सं. 53/20 उनवानी गजेन्द्र बनाम कमलेश देवी।

उपस्थितिः–

1. श्री विजय सिंह वकील अपीलांट।
2. रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–25.09.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 ने एक दावा अंतर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध शेष रैस्पो0/प्रतिवादीगण एवं अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के वादी एवं प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं पक्षकारान विवादित आराजी को सम्मिलित रूप से काश्त करते हैं। अतः आये दिन पक्षकारान के मध्य फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर उपस्थित होने बाबत् कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी गयी है। विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अपीलाधीन आदेश भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुआ है। प्रकरण में माताप्रसाद की मृत्यु दिनांक 10.11.2021 को हो चुकी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया एवं ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिअनुरूप नहीं होकर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय अथवा तहसीलदार द्वारा कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया है एव ना ही ऐसा कोई तामील शुदा नोटिस पत्रावली में शामिल नहीं है। हमने विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया, विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्तावो पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। विभाजन प्रस्तावो पर अंकित है कि वादीगण बाहर के होने के कारण उपस्थित नहीं एवं प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार को बनाया जाना आज्ञापक है। इसके अलावा अपील पत्रावली में उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मातादीन की मृत्यु दिनांक 10.11.2021 को हो चुकी थी एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2022 को पारित हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुआ है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को विधि सम्मत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2022 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक माताप्रदसाद के विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, तहसीलदार को निर्देशित करे कि वह स्वयं पक्षकार की उपस्थिति में विवादित आराजी का पक्षकारो के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करें एवं अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 29.10.2024 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर